भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमो पर सार्वजनिक सूचना

क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के.ज्ञ.सं.ऐवी.14017/61/2008 -ईस्ट (आर आर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन_के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संग्लन है ।

प्रारूप भर्ती नियमो पर आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमो के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री मनीष राज, अवर सचिव, , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं 306 - डी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110108 या ई-मेल पते : manish.raj@nic.in पर भेज सकते है।

(मनीष राज)
अवर सचिव, भारत सरकार,
टेलीफोन - 011 -23062868

नई दिल्ली
दिनांक:

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख , 2021

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मनश्चिकित्सा संस्थान अस्पताल, रांची, भर्ती नियम, 2018 में समूह 'ग' पदों को, जहाँ तक उसका संबंध चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500-81,100 रुपये)	अचयन	18 से 27 वर्षों के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, और लद्दाख,अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य छेत्रो के अभ्यर्थथयों के लिए विहित की गयी है) ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा पास ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र से चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन में डिप्लोमा । **टिप्पण-1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	आयु :- नहीं शैक्षिक अर्हता :- हाँ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: चिकित्सा अभिलेख लिपिक, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19,900-63,200 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति (प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष; 2. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची या प्रोफेसर, भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची - सदस्य।	लागू नहीं होता ।